राजस्व लोक अदालत बल्दरखा तहसील बनेडा
पीठासीन अधिकारी संजय माथुर आर ए एस

प्रकरण संख्या 18/15 रा0 वाद

[illegible] पिता हजारी जाट निवासी समेलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
[illegible] पुत्री हजारी जाट निवासी समेलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
[illegible] पुत्री हजारी जाट निवासी समेलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
[illegible] पुत्री हजारी जाट निवासी समेलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
श्रीमति [illegible] पत्नि हजारी जाट निवासी समेलिया तहसील शाहपुरा जिलस भीलवाडा

——— **वादीगण**

बनाम

1— राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर साहब भीलवाडा
2— तहसीलदार साहब बनेडा जिला भीलवाडा

——**प्रतिवादीगण**

दिनाक 16 /5/2016

[illegible] वकिल श्री के0 के0 जीनगर
प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार

वादपत्र अन्तर्गत इन्द्राज दुरूस्ती घोषणा एव स्थाई निषेधाज्ञा

संक्षिप्त मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हे कि वादीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 रा0 का0 अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया हे कि ग्राम बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा मे स्थित हाल आराजी न0 1953 रकबा 9 बिघा 14 बिस्वा जिसके साबिक आराजी न0 634 थे साबिक आराजी न0 634 रकबा 88 बिघा किस्म छा0 क0 बिलानाम काश्त दर्ज थी उक्त बिलानाम भुमि मे से वादीगण के पुर्वज हजारी पिता ज्वारा जाट को 9 बिघा 14 बिस्वा भुमि आवटंन हुई तबी से वादीगण के पुर्वज हजारी पिता ज्वारा जाट एवं उनके आवंटन काल से ही वादीगण काबिज हो, काश्त एव उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है साबिक आराजी न0 634 की राजस्व रेकार्ड मे किस्म छा0 क0 दर्ज थी , भुप्रबन्ध के दौरान आराजीयात का किस्म परिर्वतन नही कर केवल मात्र हाल आराजी न01953 रकबा 9 बिघा 14 बिस्वा वादीगण के पुर्वज हजारी पिता ज्वारा जाट के नाम आवटंन की जाकर गेर खातेदारी से दर्ज की गई हाल आराजी न01953 तालाब पेटे मे नही हे उक्त आराजी से तालाब काफी दुर स्थित है, उक्त आराजी मे से आज दिन तक कभी पानी नहीं भरा क्योकि तालाब काफी दुर है, साबिक आराजी न0 से आवंटन से ही वादीगण के पुर्वज हजारी पिता ज्वारा जाट एवं वादीगण काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। वादीगण के पुर्वज एवं हजारी पिता ज्वारा जाट ने काफी राशि खर्च कर काबिल काश्त उपजाउ बनाई है, वादीगण को आवटंन हुए 40 वर्षो से भी अधिक समय हो गया है , तथा वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड मे गेर खातेदारी रूप से दर्ज है, इस कारण उक्त आराजी की किस्म तालाब पेटा को हटाकर छा0 क0 किया जाना आवश्यक एव न्यायोचित है, आराजी न0 1953 कि किस्म परिवर्तन कराया

डिक्री पारित फरमाया जाना आवश्यक एव न्यायोचित है, वादीगण को आवंटन के आधार पर 40 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा होने तथा गैर खातेदारी से वादीगण का नाम दर्ज होने से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एव न्यायोचित है वादीगण द्वारा दिनाक 1/12/14 को प्रतिवादीगण को निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नही किये जाने से वादीगण को यह वादपत्र प्रस्तुत करना पडा अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

प्रतिवादीगण की ओंर से उपस्थित पेरोकार सरकार ने दिनाक 16/5/16 को राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होकर पटवारी रिपोर्ट एव पर्चा मोका व तहसीलदार रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे शमिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी ने अपने जवाब मे कथन किया कि हाल आराजी न0 1953 रकबा 9 बिधा 14 बिस्वा भुमि वादीगण के नाम गेर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। साबिक आराजी न0 634 से हाल आराजी न0 1953 रकबा 9 बिधा 14 बिस्वा कायम हुए जो किस्म छा0 क0 अंकित है, तथा हाल आराजी न0 1953 तालाब पेटे मे नही है, तथा न ही बहाव क्षैत्र मे है, तथा तालाब से 1 किलो मीटर की दुरी पर स्थित है तथा मोके पर वादीगण का कब्जा काश्त है।

वादीगण ने वादपत्र के समर्थन मे जमाबन्दी की नकल संवत 2066 से 2069, खसरा ट्रेस, इन्तकाल की फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी सवत 2018 से 2021 प्रमाणित की फोटो प्रति , जमाबन्दी सवत 2022 से 2025 की प्रमाणित फोटो प्रति जमाबन्दी सवत 2046 से 2049 फोटो प्रति प्रमाणित ,जमाबन्दी सवत 2050 से 2053 फोटो प्रति प्रमाणित ,खसरा मिलान की फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी की नकल सवत 2070 से 2073 की प्रस्तूत की जिसे शामिल की गई।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्षो की बहस पर मनन किया विवादित आराजीयात ग्राम बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा मे स्थित होकर साबिक आराजी न0 634 रकबा 88 बिघा किस्म छापर कदीम दर्ज रेकार्ड थी जिसकी ताइद मे प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबन्दी की नकल संवत 2018 से 2021 की फोटो प्रति से ताइद होती है। साबिक आराजी न0 634 रकबा 88 बिघा के हाल आराजी न0 1952, 1953, 1954,1955 व अन्य नम्बर कायम हूए वादीगण को हाल आराजी न0 1953 रकबा 9 बिघा 14 बिस्वा भूमि किस्म छापरकदीम दर्ज थी , जिसकी ताइद खसरा मिलान की फोटो प्रति से प्रमाणित होती है। वादीगण के पुर्वज हजारी पिता ज्वारा जाट साकीन देह के नाम गेर खातेदारी हक हिस्से दर्ज होकर किस्म पेटा तालाब दर्ज है। जिसकी ताइद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबन्दी की नकल संवत 2046 से 2049 व जमाबन्दी 2050 से 2053 से होती है। हजारी पिता ज्वारा के देहान्त होने के बाद विरासत से खाता वादीगण के नाम दर्ज हुआ, जिसकी ताइद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबन्दी की नकल 2066 से 2069 व 2070 से 2073 से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजो एवं वादपत्र मे अकित तथ्यो के अनुसार विवादित आराजीयात वादीगण के पूर्वजो को आंवटित हुई, जिसमे किस्म छापरकदीम दर्ज थी , किन्तु सेटलमेन्ट के बाद विवादित आराजीयात की किस्म परिवर्तन कर पेटा तालाब दर्ज कर दी गई जिसकी ताइद राजस्व अभिलेखो से होती है। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जो जवाबदावा एव पर्चा मोका प्रस्तुत किया उसमे भी विवादित आराजीयात पेटा तालाब की नही होना अंकित किया है, क्योकि विवादित आराजीयात तालाब पेटे मे नही हे तथा

ही बहाव क्षेत्र मे है। मोके पर विवादित आराजीयात का कब्जा वादीगण का ही है। साबिक आराजी न0 की किस्म छापरक़दीम अंकित है, इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे किस्म परिवर्तन करना उचित है।

उपलब्ध विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वादपत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं।

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आश्य की जारी कि जाती हे कि ग्राम बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा मे स्थित हाल आराजी न0 1953 रकबा 9 बिघा 14 बिस्वा भुमि का किस्म परिवर्तन साबिक रेकार्ड के अनूसार छा0 क0 दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे भुमि की किस्म परिवर्तन करते हुए वादीगण के नाम भुमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे।

संजय माथुर
(आर0 ए0 एस0)
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाडा

घोषित आज दिनांक 16/5/2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाडा